



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47194-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 141/2026

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: बुशरा मरियम (वरिष्ठ अधिवक्ता), बाकर मेहदी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी., अनुराग खन्ना (वरिष्ठ अधिवक्ता), राघव देव गर्ग

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

- यह अपील, अपील करने की इजाजत हेतु आवेदन सहित, अपीलार्थी द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
- रिट याचिका प्रत्यर्थी-संघ द्वारा उसके महामंत्री श्री एच.एन. तिवारी के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी करने हेतु निर्देश प्राप्त करने के लिए दायर की गई थी जिसमें प्राधिकारियों, अर्थात् बोर्ड, श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण को याचिकाकर्ता ट्रेड यूनियन संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारियों के बारे में सूचित किया जाए।
- विद्वान एकल न्यायाधीश ने उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ('अधिनियम') और उ.प्र. औद्योगिक विवाद नियम, 1957 ('नियम') के उपबंधों के संदर्भ में, यह पाते हुए कि यद्यपि श्रम आयुक्त ने दिनांक 31.08.2025 को हुए याचिकाकर्ता के चुनाव में कोई विवाद न अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने के संबंध में दिनांक 23.12.2025 को ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को एक पत्र जारी किया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह नियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप से विधि के अनुसार, यदि कोई विधिक बाधा न हो, विभिन्न प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता संघ की नई कार्यकारिणी के गठन की सूचना देने हेतु उचित आदेश पारित करे।

4. दलीलें प्रस्तुत की गई हैं कि संघ के भीतर विवाद हैं। श्री के.के. तिवारी के नेतृत्व में एक गुट और श्री एच.एन. तिवारी के नेतृत्व में दूसरा गुट मुकदमेबाजी में है, जिसमें अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी), न्यायालय संख्या 4, जिला कानपुर के समक्ष एक सिविल वाद लंबित है और इससे पूर्व दिनांक 16.07.2024 को श्रम आयुक्त ने पक्षकारों के मध्य विवाद के कारण पक्षकारों को सिविल न्यायालय के माध्यम से विवाद का समाधान कराने की अपेक्षा की थी जिसके फलस्वरूप वाद दायर किया गया था और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार ने अपने दिनांक 29.10.2025 के आदेश द्वारा दोनों पक्षकारों, अर्थात् के.के. तिवारी और एच.एन. तिवारी को वाद की लंबितता के बारे में सूचित किया था और यह भी बताया था कि मान्यता के लिए किया गया उनका दावा विचारणीय नहीं हो सकता। तथापि, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए एक संप्रेषण पर श्रम आयुक्त द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने में कोई विधिक बाधा नहीं है, परंतु जब रजिस्ट्रार ने दिनांक 23.12.2025 के उक्त संप्रेषण के आधार पर कोई आदेश नहीं पारित किया, तो अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना वर्तमान रिट याचिका दायर की गई और दिनांक 29.10.2025 को इस संबंध में पारित आदेश तथा इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि जिस विषय वस्तु के लिए निर्देश मांगा गया था, उसका अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा था, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा वर्तमान प्रकृति का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया गया।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब रिट याचिका की विषय वस्तु पर पक्षकार सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा लड़ रहे हैं और दिनांक 29.10.2025 का आदेश पहले ही पारित हो चुका है, तो श्रम आयुक्त से दिनांक 23.12.2025 का नया निर्देश प्राप्त करने और उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का, और वह भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए बिना, कोई अवसर नहीं था और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसलिए अपील करने की इजाज़त हेतु आवेदन अनुज्ञात किया जाए तथा आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए।

6. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए दलीलें प्रस्तुत कीं कि एक बार जब लंबित वाद की विषय वस्तु उस चुनाव से संबंधित नहीं है जिसके लिए प्रत्यर्थियों द्वारा मान्यता मांगी जा रही थी और वाद में श्रम आयुक्त पक्षकार नहीं थे तथा कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन को आगे न बढ़ाना न्यायोचित नहीं था और इसलिए याचिका दायर करना उचित था।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अब भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के आधार पर, जो कि हानि रहित प्रकृति का है और प्राधिकारियों को विधि के अनुसार आदेश पारित करने की अपेक्षा करता है तथा यदि कोई विधिक बाधा नहीं है, तो किसी ने भी अपीलार्थी को उन सभी विवादों के साथ रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने से नहीं रोका है जो वर्तमान अपील में उठाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. हमने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दो गुट, एक के.के. तिवारी के नेतृत्व में और दूसरा एच.एन. तिवारी के नेतृत्व में, आपस में विरोध में हैं और विवाद से संबंधित सिविल वाद सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो प्रत्यक्षतः दिनांक 16.07.2024 को श्रम आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात और तत्पश्चात दोनों गुटों द्वारा चुनाव की मान्यता की मांग करते हुए आवेदन किए जाने पर ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा सिविल वाद की लंबितता के कारण दिनांक 29.10.2025 को अपना संबंध समाप्त करने का आदेश पारित किए जाने के बाद हुआ।

10. एक बार जब प्रत्यर्थी ने वाद की प्रकृति और किसी अंतरिम आदेश के अभाव के आधार पर श्रम आयुक्त से अग्रतर निर्देश प्राप्त करना उचित समझा और दिनांक 23.12.2025 के उक्त निर्देश को लागू कराने हेतु रिट याचिका दायर की, तो प्रत्यर्थी का यह दायित्व था कि वह अपीलार्थी को याचिका में प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित करे और तत्पश्चात न्यायनिर्णयन/निर्णय की मांग करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह दलील कि पारित आदेश हानि रहित है और अपीलार्थी को रजिस्ट्रार के समक्ष अपना पक्ष रखने की सुविधा हमेशा उपलब्ध है, किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 23.12.2025 के संप्रेषण के आधार पर न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी किया जा सकता था अथवा नहीं, यह केवल तभी निर्णीत हो सकता है जब अपीलार्थी को याचिका में पक्षकार बनाया जाता और इस संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता।

12. एक बार जब विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 'याचिकाकर्ता-संघ' की नई कार्यकारिणी के गठन की विभिन्न प्राधिकारियों को सूचना देने हेतु परमादेश पारित कर दिया गया है, तो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपीलार्थी को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

13. इस दृष्टिकोण से मामले में, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित किए बिना तथा दिनांक 16.07.2024 और 29.10.2025 के आदेशों को अभिलेख पर न लाते हुए दायर की गई रिट याचिका, आवश्यक पक्षकार को न सम्मिलित किए जाने और सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण दोषपूर्ण थी।

14. इस दृष्टिकोण से मामले में, अपील करने की इजाजत हेतु आवेदन तथा अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अपील अनुज्ञात की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.01.2026 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

15. रिट-सी संख्या 2787/2026 को उसकी मूल संख्या पर पुनः स्थापित किया जाता है। प्रत्यर्थी, यदि उचित समझे, तो अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में सम्मिलित करे, अपेक्षित दस्तावेज अभिलेख पर रखे और तत्पश्चात उक्त रिट याचिका विधि के अनुसार निर्णीत की जाएगी।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

आरके/एके शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।